

२२०
नू४३१२

यालय उप जिलाधिकारी / सहा०कले०(प्र०श्रे०), सदर, लखनऊ।

वाद संख्या : २१५/११-१२

श्रीमती शैल रानी कपूर

बनाम उ०प्र० सरकार

धारा : 143 जेड०ए०एल०आर० एकट

ग्राम : सिकन्दरपुर खुर्द, परगना,

तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही श्रीमती शैल रानी कपूर पत्नी स्व० श्याम नरायन कपूर निवासी सी-३९८, सेक्टर-बी, महानगर, तहसील व जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड०ए०एल०आर० एकट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थिनी भूमि खसरा संख्या 27 के रकबा 0.3410 है, 28 रकबा 0.3390 है, 29 रकबा 0.3790 है व 32 रकबा 0.5060 है ये कुल रकबा 1.5650 है भूमि की मालिक, कामिल, काबिज व दखिल है। प्रार्थिनी की उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ बाउन्ड्री बनी है। अन्त में प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई।

तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 30.04.2012 के अनुसार प्रश्नगत भूमि आवेदिका के नाम दर्ज है। उक्त भूमि नम्बरों को आपस में मिलाकर विकसित करके लॉटिंग कर दी गयी है तथा नाली व रास्ता का निर्माण कार्य हो रहा है। कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षाशेषण आदि नहीं किया जाता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नहीं है।

लखनऊ महानगर योजना - 2021 में भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्ज है। नियम 135(6) के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है एवं नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संरक्षित सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर उ०प्र० सरकार को सम्मन जारी किया गया, किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट

M

२२०
३००८०९

है कि उक्त भूमि नम्बरों को आपस में मिलाकर विकसित करके प्लाटिंग कर दी गयी है तथा नाली व रास्ता का निर्माण कार्य हो रहा है। कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, कुकुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नहीं किया जाता है। ऐसी दशा में मौके पर उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 30.04.2012 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम सिकन्दरपुर खुर्द, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की गाठा संख्या 27 के रकबा 0.341 हे0, 28 रकबा 0.339 हे0, 29 रकबा 0.379 हे0 व 32 रकबा 0.506 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का उपयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना - 2021 के अनुसार ही अनुगम्य होगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।



उपरोक्त आदेश आज दिनांक 21/7/12 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

इच्छा आदेश-पत्र हेतु की तिथि: 28/07/12

एकल तैयार करवे की तिथि: 28/07/12

एकल बारी करते की तिथि: 28/07/12

रातिलिपि शुल्क: 12.50

बदलों की राशि: ५०० रुपये

रातिलिपि करता: दिया गया

मुलाकता: 28/07/12

तिथि: 28/07/12

प्रमाणित प्रतिलिपि:

लखनऊ, 28/07/12
रातिलिपि द्वारा दिया गया

उप जिलाधिकारी/मैत्रिय

m 21/7/12

(अरुण कुमार)

उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०),
सदर, लखनऊ

m

(अरुण कुमार)

उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०),
सदर, लखनऊ